परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण ADB.org पर दिनांक 12 जुलाई, 2017 पर आधारित है।

ASIAN DEVELOPMENT BANK

एशियाई विकास बैंक

भारत : हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास सहायता

परियोजना का नाम	हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास सहायता
परियोजना की संख्या	49108-001
देश	भारत
परियोजना की स्थिति	सक्रिय
परियोजना प्रकार / सहायता की विधि	तकनीकी सहायता
निधीयन का स्रोत / राशि	**तकनीकी सहायता 9060– भारतः हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास सहायता**

तकनीकी सहायता विशेष कोष	यूएस डॉलर 500,000.00

तकनीकी सहायता 9060– भारतः हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास सहायता (अनुपूरक)

तकनीकी सहायता विशेष कोष	यूएस डॉलर 225,000.00

तकनीकी सहायता 9060– भारतः हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास सहायता (अनुपूरक)

तकनीकी सहायता विशेष कोष	यूएस डॉलर 150,000.00

रणनीतिक कार्यसूची	समावेशी आर्थिक विकास
परिवर्तन के प्रेरक	अभिशासन और क्षमता विकास ज्ञान समाधान भागीदारियां निजी क्षेत्र विकास
सेक्टर/उप–सेक्टर	**शिक्षा** - तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण
लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण	लैंगिक समानता
विवरण	हिमाचल प्रदेश (एचपी), भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला के समानान्तर अवस्थित है, की जनसंख्या 6.8 मिलियन है। इसके पहाड़ी भूभाग, कम कनेक्टिीविटी तथा प्रमुख रूप से ग्रामीण जनसंख्या (90 प्रतिशत) जैसी बाधाओं के बावजूद, हिमाचल प्रदेश ने सन 2000 से आर्थिक, गरीबी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सूचकांकों में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाया है, जिसका श्रेय एक के बाद एक सरकारों द्वारा आधारसंरचना में निवेश तथा बुनियादी लोक सेवाओं में प्रदायगी सुधार हेतु सुसंगठित प्रयासों को जाता है। विगत दशक में माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, हिमाचल प्रदेश की सरकार (जीओएचपी) के सामने अब इसके युवाओं को उपयुक्त तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण (टीवीईटी) उपलब्ध कराने की दूसरी पीढ़ी की चुनौती है, ताकि वे स्वयं को रोजगार बाजार की तेजी से बदलती ज़रूरतों के अनुसार तैयार कर सकें। प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत राज्य के टीवीईटी कार्यक्रमों के आधुनिकीकरण तथा सुधार, सार्वजनिक निजी भागीदारियों (पीपीपी) के माध्यम से बाजार की ज़रूरतों के अनुरूप बनाने और टीवीईटी कार्यक्रमों की समग्र गुणवत्ता तथा परिणाम के सुधार द्वारा राज्य के युवाओं की रोजगारपरकता और उनकी रोजगार संभावनाओं में वृद्धि में हिमाचल प्रदेश सरकार की सहायता की जाएगी।
परियोजना तर्काधार और देश/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध	राजकोषीय वर्ष (एफवाई) 2004–2005 तथा राजकोषीय वर्ष 2013–2014 के बीच हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि 7.6 प्रतिशत थी। राजकोषीय वर्ष (एफवाई) 2004–2005 तथा 2011–2012 के बीच कुल मिलाकर गरीबी 22.9 प्रतिशत से घटकर 8.1 प्रतिशत रह गई। ग्रामीण गरीबी 25.6 प्रतिशत से घटकर 8.5 प्रतिशत होना सराहनीय था। हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी ग्रामों में बिजली पहुंच चुकी है। अखिल

भारतीय औसत 30.7 प्रतिशत की तुलना में हिमाचल प्रदेश में दो तिहाई ग्रामीण परिवारों में सफाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रत्याशि जीवनावधि 70 वर्ष है, जो राष्ट्रीय औसत 66.1 वर्ष से थोड़ा अधिक है। समग्र साक्षरता में सुधार हुआ है तथा लैंगिक अंतराल में लगातार कमी आई है। राजकोषीय वर्ष 2013–2014 में, हिमाचल प्रदेश में माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरो पर सकल नामांकन दर भारतीय औसत 76 और 52 की तुलना में क्रमानुसार 120 और 96 थी। उच्च महिला साक्षरता तथा प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवार नियोजन सेवाओं हेतु पहुंच में सुधार के चलते 2013 में हिमाचल प्रदेश की प्रजनन दर 1.7 थी, जोकि प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 2022 तक और कम होगी, जिसके पश्चात कार्यशील आयु जनसंख्या (15–59) में गिरावट आनी आरंभ हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश की सरकार प्रदेश के युवाओं के टीवीईटी स्तर में वृद्धि द्वारा इस जनसांख्यिक खिड़की का लाभ उठाने हेतु उत्सुक है। माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि तथा साक्षरता स्तर में सुधार के बावजूद हिमाचल प्रदेश में इसके विद्यालय तथा महाविद्यालय स्नातकों के लिए रोजगार पर्याप्त नहीं है। शिक्षित बेरोजगारी की चुनौती बढ़ती जा रही है। भारत के अन्य राज्यों की भांति माध्यमिक तथा महाविद्यालय स्तर पर सामान्य शिक्षा बाजार की ज़रूरतों के यथेष्ट अनुरूप नहीं है। हिमाचल प्रदेश में टीवीईटी कार्यक्रम 12 सरकारी विभागों में बंटे हुए हैं। इनमें गुणवत्ता आश्वासन, परिणाम, प्रमाणन अथवा लागतों हेतु मानदंडों में एकरूपता नहीं हैं। प्रचलनातीत पाठ्यचर्या तथा प्रदायगी विधियों, कमजोर उद्योग–सम्पर्क तथा खराब प्लेसमेंट रिकार्ड के कारण हिमाचल प्रदेश के युवा टीवीईटी को व्यावहारिक करियर विकल्प नहीं मानते हैं। इसके फलस्वरूप, हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों पर भारी निर्भरता बनी हुई है, जो न राजकोषीय दृष्टि से सम्पोषणीय है और न ही आर्थिक दृष्टि से उत्पादक है। इसके अतिरिक्त, विगत काल में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक एवं रोजगार पार्श्विका में भारी असंतुलन पैदा हुआ है। राजकोषीय वर्ष 2004–2005 तथा 2013–14 के बीच हिमाचल प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक सेक्टर का हिस्सा 25 प्रतिशत से घटकर 19 प्रतिशत रह गया है तथा द्वितीयक सेक्टर का हिस्सा 38 प्रतिशत पर स्थिर बना हुआ है, जबकि तृतीयक सेक्टर की हिस्सेदारी 36 से बढ़कर 43 प्रतिशत हो गई है। तथापि राजकोषीय वर्ष 2013–2014 तक 58.5 प्रतिशत कार्यबल प्राथमिक सेक्टर, 22.5 प्रतिशत द्वितीयक सेक्टर तथा केवल 19 प्रतिशत सर्विसेज सेक्टर में रोजगार कर रहा था। यह अनुमान लगाया गया है कि 2017 और 2022 के बीच 515,557 कुशल श्रमिकों की मांग होगी। तदपि, राजकोषीय वर्ष 2011–2012 तक हिमाचल प्रदेश के 90 प्रतिशत कार्यबल को किसी प्रकार का टीवीईटी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। हिमाचल प्रदेश की टीवीईटी प्रणाली में सुधार तथा प्राथमिकता के आधार पर उन्नत बनाई जाने की ज़रूरत है ताकि राज्य के युवाओं को प्राथमिक से द्वितीयक और तृतीयक कार्यों के लिए तैयार किया जा सके। हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा सितम्बर, 2015 में एक कौशल विकास निगम एचपीकेवीएन की स्थापना योजना विभाग के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई तथा उसको एचपीएसडीएम का कार्य सौंपा गया। एचपीएसडीएम के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे टीवीईटी कार्यक्रमों में परिवर्तन करने तथा सभी प्रशिक्षण कार्यों को भारत के एनएसक्यूएफ एवं अन्य राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन और प्रमाणन मानदंडों में विनिर्दिष्ट सक्षमता स्तरों का संरेखण सम्मिलित था। बाजार के साथ सम्पर्क को मजबूती प्रदान करने तथा प्रशिक्षण एवं आकलन में पीपीपी'ज के उत्प्रेरण हेतु एचपीकेवीएन बोर्ड में उद्योगों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। केरल और हरियाणा के अलावा हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहां माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य इसको कालेज स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के साथ जोड़ना है ताकि सामान्य शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियो के लिए टीवीईटी का करियर मार्ग प्रशस्त किया जा सके। इस परियोजना से हिमाचल प्रदेश के टीवीईटी संस्थानिक ढांचे में सुधार होगा, राज्य की टीवीईटी प्रशिक्षण क्षमता में 17,000 की वृद्धि होगी तथा इसको हिमाचल प्रदेश के युवाओं की रोजगार

संभावनाओं के सुधार हेतु बाजार की ज़रूरतों के अनुरूप बनाया जा सकेगा।

प्रभाव

परियोजना परिणाम

परिणाम का वर्णन

परिणाम की दिशा में प्रगति

कार्यान्वयन प्रगति

परियोजना आउटपुट्स का विवरण

कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां तथा मुद्दे)

भौगोलिक अवस्थिति

पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश

पर्यावरण पहलू

अस्वैच्छिक
पुनर्वास

स्वदेशी लोग

स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान	हिमाचल प्रदेश के न्यून–आय परिवारों से संबंध रखने वाले शहरी और ग्रामीण युवा तथा राजकीय महाविद्यालयों एवं टीवीईटी संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थी इस परियोजना के प्राथमिक हितधारक (और लाभार्थी) होंगे। द्वितीयक हितधारकों में इन युवाओं के अभिभावक, शिक्षक, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता, संभावित नियोक्ता, गैर–सरकारी संगठन, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा उद्योग सम्मिलित हैं। यह परियोजना इन हितधारकों के निकट परामर्श के साथ तैयार की जा रही है। तकनीकी और सुरक्षोपायों का आकलन करते समय अतिरिक्त परामर्श किया जाएगा, जिसमें महिलाओं, गरीब विद्यार्थियों और उनके परिवारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
परियोजना कार्यान्वयन के दौरान	

व्यवसाय के अवसर

परामर्शी सेवाएं	तकनीकी सहायता के अधीन कुल 64 व्यक्ति माह का परामर्श निवेश किया गया है। एडीबी ने एक फर्म (12 राष्ट्रीय तथा 1 अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता के लिए 49 व्यक्ति–माह) और 3 व्यक्तिगत परामर्शदाता अनुबंधित किए हैं। परामर्शी निवेशों का चयन एवं अनुबंध का निष्पादन परामर्शदाताओं के उपयोग हेतु एडीबी के मार्गदर्शी सिद्धान्त (2013, समय समय पर संशोधितानुसार) के अनुसार किया गया था। परामर्शदाता फर्म का चयन गुणवत्ता और लागत आधारित चयन प्रक्रिया के अनुसार सरलीकृत तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। इस हेतु गुणवत्ता तथा लागत के 90:10 के अनुपात का अनुसरण किया गया था।
अधिप्राप्ति	तकनीकी सहायता–वित्तपोषित सभी सामान का क्रय एडीबी के क्रय मार्गदर्शी सिद्धान्त (2015, समय समय पर संशोधितानुसार) के अनुसार किया जाएगा। तकनीकी सहायता के अधीन सभी संवितरण एडीबी की तकनीकी सहायता संवितरण पुस्तिका (2010, यथा संशोधित) के अनुसार किया जाएगा। तकनीकी सहायता का संवितरण 13 माह की अवधि में किया जाएगा, जो फरवरी, 2016 में आरंभ हुई है तथा अप्रैल, 2017 में समाप्त होगी।

जिम्मेदार स्टाफ

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	चोंग, फूक येन
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग

जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	मानव तथा सामाजिक विकास प्रभाव, एसएआरडी
निष्पादक अभिकरण	**योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार** योजना भवन, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला, 171 002

समयसारणी

अवधारणा मंजूरी	-
तथ्य अन्वेषण	-
एमआरएम	-
अनुमोदन	16 दिसम्बर 2015
अंतिम पुनरीक्षा मिशन	-
अंतिम पीडीएस अद्यतन	23 मार्च 2017

तकनीकी सहायता 9060-भारत

मील के पत्थर

अनुमोदन	**हस्ताक्षर की तिथि**	**प्रभाविता तिथि**	**अनुमोदन समापन**		
			मूल	**संशोधित**	**वास्तविक**

16 दिसम्बर 2015	26 फरवरी 2016	26 फरवरी 2016	30 अप्रैल 2017	31 दिसम्बर 2017	-

वित्तपोषण योजना /तकनीकी सहायता उपयोग **संचयी संवितरण**

एडीबी	सहवित्तपोषण	प्रतिपक्ष				कुल	तिथि	राशि
		सरकार	लाभार्थी	परियोजना प्रायोजक	अन्य			
875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	16 दिसम्बर 2015	567,657.92

परियोजना डेटा शीट्स (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम पर संक्षिप्त जानकारी दी गई हैः क्योंकि पीडीएस प्रगति–में–कार्य होता है, इसके आरंभिक संस्करण में कुछ जानकारी सम्मिलित नहीं होना संभव है, परंतु यह उपलब्ध होते ही जोड़ दी जाएगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में जानकारी अनंतिम एवं संकेतात्मक है।

एशियाई विकास बैंक इस परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में दी गई जानकारी इसके उपयोगकर्त्ताओं के लिए, किसी भी प्रकार के आश्वासन रहित संसाधन मात्र के रूप में उपलब्ध कराता है। यद्यपि एशियाई विकास बैंक उच्च गुणवत्ता की विषयवस्तु उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, तदपि जानकारी विपण्यता, विशेष प्रयोजन हेतु उपयुक्तता और अनतिक्रमण की सीमांकन वारंटियों सहित किसी भी प्रकार की वारंटी, अभिव्यक्त अथवा अभिप्रेत, के बिना "जैसी है" आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। एशियाई विकास बैंक ऐसी जानकारी की सटीकता अथवा पूर्णता के संबंध में विनिर्दिष्ट रूप से कोई वारंटी अथवा अभिवेदन प्रस्तुत नहीं करता है।